XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09.09.2011		

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध अनुमति वाद संख्या–66/11

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

श्री कन्त लाल उरांव, पिता–स्व0 एतवारी उरांव, साकिन–बेतौना, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी पुत्री की शादी हेतु मौजा–बेतौना, थाना नं0–232, खाता नं0–58, खेसरा नं0–727, रकवा–0.08.04 कड़ी जमीन मो0 अमानुल्लाह एवं मो0 अब्दूल कलाम, पिता–हाजी सेराजुल इस्लाम, साकिन– कजरा बेतौना, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ के साथ बिक्री करने हेतु बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि आवेदक को खरीदगी केवाला द्वारा प्राप्त है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, कसबा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, कसबा के पत्रांक 610, दिनांक 05.08.2011 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित है कि वर्तमान जमाबन्दी में खाता नं0–164 शिवजी उरांव वो महावीर उरांव, पिता–लेछा उरांव वो चमरू उरांव, पिता–मंगरू उरांव के नाम जमाबन्दी दर्ज है। जिसमें बचत रकवा 5.32 डिसमिल है, जिसमें चमरू उरांव का हिस्सा 2.66 डिसमिल है। खाता नं0–35 गौरी देवी, पति–चमरू उरांव के नाम से जमाबन्दी मौजा–बेतौना में दर्ज है, जिसका रकवा 1.16 1/2 डिसमिल है। खाता संख्या–43, मौजा–बेतौना, थाना नं0–232 में चमरू उरांव का हिस्सा 0.33 डिसमिल है। खाता संख्या–40 में मौजा–बेतौना में चमरू उरांव के नाम से जमाबन्दी दर्ज है, जिसका रकवा 1.23 डिसमिल है। खाता संख्या–58 में मौजा–बेतौना में चमरू उरांव का हिस्सा 0.67 डिसमिल है। खाता संख्या–41 के मौजा–बेतौना में चकरू उरांव के नाम से 0.67 डिसमिल है।

इस प्रकार चमरू उरांव को दो पुत्री में से एक का हिस्सा 3.16 डिसमिल होता है, जिसमें से कन्त लाल उरांव का हिस्सा 1.12 डिसमिल है। उक्त धारित जमीन में से कुल 0.08.04 कड़ी जमीन बिक्री करने की अनुमति की मांग की है। प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 1,03,06 कड़ी जमीन बच जाता है, जिससे वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ